"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक '' छत्तीसगढ़/दुग/ तक. 114-009/2003/20-01-03.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 228]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 सितम्बर 2006-भाद्र 20. शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2006

क्रमांक 11392/300/21-अ/प्रारूपण/06.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 3-9-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतदद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

# छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 28 सन् 2006)

## छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004

## विषय-सूची

#### खण्ड :

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
- 2. परिभाषाएं.
- 3. पशु चिकित्सा अधिकारीं की नियुक्ति.
- कृषिक पशु के वध का प्रतिषेध.
- 5. कृषिक पशु मांस रखने पर प्रतिषेध.
- 6. वध के लिये कृषिक पशु के परिवहन पर प्रतिषेध.
- 7. जप्त कृषिक पशुओं की अभिरक्षा एवं मासिक विवरण.
- संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण.
- प्रभारों का उद्ग्रहण.
- 10. शास्ति.
- 11. सवृत का भार अभियुक्त पर होगा.
- 12. अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना.
- 13. प्रवेश तथा निरीक्षण की शक्ति.
- 14. जमानत का उपबंध.
- 15. पुनर्वास.
- 16. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.
- 17. इस अधिनियम के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे.
- 18. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा.
- कठिनाई दूर करने की शक्ति.
- नियम बनाने की शक्ति.
- 21. निरसन तथा व्यावृत्ति

अंनुसूची

## छत्तीसगढ् अधिनियम

(क्रमांक 28 सन् 2006)

## छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004

जनसाधारण के हित में और साम्प्रदायिक सद्भाव और शांति बनाए रखने, कृषिक पशु वध का प्रतिषेध करने के लिये और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

		요즘 그 이 경우가 있다고 하는데 하는데 맛있습니다. 나는 사람들이 얼마나면 하는데 하는데 하다는데 하는데 되었다. 그리는데	
1,	(1)	इस अधिनिग्रम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 है. संक्षिप्त नाम, विस्तार औ प्रारंभ.	Ŧ
	.(2)	इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.	
	(3)	यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.	
2.	इस अधिनि	यम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—	

- (क) "मांस" से अभिप्रेत है, कृषिक पशु का मांस;
- (ख) "कृषिक पशु" से अभिप्रेत है, अनुसूची में विनिर्दिष्ट पशु, से है;
- (ग) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन करने के लिये इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियक्त किया गया हो, से है:
- (घ) ''संस्था'' से अभिप्रेत है, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिती के अधीन कृषिक पशु को रखने, उनके प्रजनन तथा भरण-पोषण करने के प्रयोजन के लिये या अशक्त, बूढ़े और रोगी कृषिक पशु को ग्रहण करने, उनका संरक्षण, देखभाल, प्रबंध तथा उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित की गई रजि-स्ट्रीकृत कोई पूर्त संस्था, से है;
- (ङ) ''वध'' से अभिप्रेत हैं, किसी भी पद्धति से, चाहे वह कुछ भी हो, हत्या करना और उसमें ऐसा अंगहीन करना या कोई शारीरिक चोट पहुंचाना भी सम्मिलित है, जिससे सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हो जाए, से है;
- (च) "परिवहन" से अभिप्रेत है, कृषिक पशु को वाहन द्वारा या पैदल अथवा अन्य किसी साधन से ले जाना;
- (छ) ''पशु चिकित्सा अधिकारी'' से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन पशु चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्तिः
- (ज) ''यान'' से अभिप्रेत है, भूमि, जल या वायु मार्ग से उपयोग में लाए गये यांत्रिकी या हस्तचलित वाहन.
- राज्य शासन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, स्थानीय क्षेत्र के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा.

पशु चिकित्मा अधिकारी की नियक्ति

ाधिक निह्न समित हो। व स्थाप होते होते होते होते होते होते होते होते		
मिननी पुर्म , प्रेस्किमार मार्थन सर्वास्थार मेरि, उस स्थारियात के स्थित के मिन का मार्थ का कि का	1	With the second
अधिकारी द्वारा प्राधिकत किसी व्यक्ति की उस प्रिरार में एसा प्रवेश करते हेतु अनुजात कामा जना		
हिं सदस प्राधिकारी या पशु निकित्या अधिकारी या तिवित में सक्षम अधिकारी या पशु निकित्या		
ाहार मिस्मीह प्रम भागीम मेंग्रे सिन्दी होन दिनी युडीनीनी में (1) प्राथम्ड कि नीक सिर्म कर्फर (2)	h e	
reset tréquête un rothe fai fit est in less abledes le (1) prove le rêtes uté refere (1)	-	
2/5 1-18/2/17/18/19/19/2		
तहा उनका निरीक्षण करें		
रंक एर्रेप, ई मिनामंत्र तेर निक्त फंक्री ए ई हिर कि प्रकी, ई एम किनी संप्रपत होक निवह क्षेत्र		A
हिंह की है एमक ति है के सावदृष्टी इह साए किस्ह में अंबेंध के सि मि मि की किसी		
कं फिरिंग के स्थिति है हि कि		
जरूप्रीार में हंछीलो जमीने छड़ छाड़ क़िकशिर एककीज़ प्रुप ए जिकशीर एक निम्ने का है।		श्रीस्यः
एक कि हिंद के मान कि स्था कि स	.51-	कि एक्सिनी एक एक्स
	D	
के अधीन समस्त अपराध संजेय तथा अजमानतीय होंगे.		अयमानसीय हाना
मननीयीस भर में गृह तिह के ताव सिकी बेबीतेस में (८ .क ममनियोत्त का ४८६१ ) ६८६१ , महिन मननीयीत स	15.	ाअन महंभ् ति विश्वतिकार विश्वतिकार
इस अधिनयम के उपबंधी के उक्षयन में नहीं था.		
के किसी विचारण में यह साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा कि कृषिक पशु का वक्ष, परिवहन या विका		.nets yv
	il	सबूत का थार अभियुक्त
हम अधिनियम की भारा 4, 5 या 6 के उपबंधी का उद्ध्यंत के लिए भारा 10 के अभीन दण्डनीन कि मा	LL	manage and an analy
ਗ਼ਾਮੀ से दिग्दि किया जागा।		
ारकंघ कि तक कार हम्ब अप हम्ब के मिल्री कि सिकी। हा प्राप्त के मिल्री के कि सिक्री कि		
इह गिर्फ १० दिन्हे तक्तर । पर्दक सामर कि म्यह्न वि । प्रिक म्यह्न कि विष्ट कि वि । वि । वि । वि । वि । वि । वि	.01	ज्ञास्ति.
वार्ष		
इंखशाल तथा भएण-पोषण के लिये उनके स्वामियों से पूसे प्रभारों का उद्ग्रहण कर संकंगा जैसा के विहित किये		
संस्था का भारसाधक व्यक्ति, कृषिक पशु जिसे थारा 7 के अंतर्गत संस्थाओं की आभरक्षा में रखा गया हो उनकी	.6	.१०३४५६ तक गिमध्य
समी हुई हैं.		
मं एएएक के प्रिक्श से भी स्वताओं के भूडूड़ी के एक के दम उन से भी है। है	.8	संस्थाओं का मुद्दुबीकाण.
. गिर्फेक तिर्माण संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत स्वायालय में		विवर्ण.
संस्थान या पंजीकृत संस्थान की अभिरक्षा में दिया जावेगा, उक्त पंजीकृत संस्था कृषिक पशुओ का निथीरित प्रपत्र		क्रभीम हम् ।क्षामीस
अधियोज्न के कार्यवाही के निर्णय होने तक जस कृषिक पशुओं को निकटतम पंजीकृत गांशाला. गोंसडस, गोंसरराण	.7	कि रिट्रिय केमीक मर
करेगा, न ही परिवहन के लिये देगा और न उसका परिवहन कराएगा.		
न अगर है आप से राज्य के बीता किसी स्थान पर या राज्य के बाहर के सिसी स्थान के बाहर है माध्य फिल्हों		
क भी प के क्या , है । मधाम में कि नीष किया विश्व । प्राची किया । प्राची किया भी किया भी किया है है । प्राची किया । प्राची किया किया । प्राची किया किया । प्राची किया किया । प्राची किया किया किया किया किया किया किया किया		IMPLICIT VE I DEVIE
मंत्री के मर्याप्त के भन्न की मानकहर के विकास के निम्नीयीय पत्र तुम क्षित की की की की भी है कि	.9	परिवर्धन पर प्रतिकेश,
रिफ़ी के म्हिरिया के एक क्यार में मुख्या के विश्वाद के प्रत्नीसीए एड कि एक करते के दिख्ये क्या के	9	र्क एक कि किले के धक
		r series
ार्ग्छा हिन् मि		फ़र्कतीए ग्रम
हंनक निगर कि सोम के क्षम कथाक फिकी की किकी अन में नहांतर के विकार के एकनिशिक सर्ह, की कि मि ड्रेकि	.S	न्छा भाम हुए क्षमीकृ
वध के लिये दिलवाएगा.		प्रतिषेश.
कर ह मारि गाउँ एमी के थह ह महि ,गागागर के घट हैं,गाउँद घट कि ह कि पुर क्षित्र कि कि की की कि कि	.4.	तक ।अठ के एएम त्रुमीक़
		THE TOPE OF THE TENEDE
		क्य क्ष्य क्ष्मा क्युक

निश्वंस के अनुसार देगा.

- (3) सक्षम प्राधिकारी या पशु िंत्सा अधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि राष्ट्र इस अधिनियम की धारा 6 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये किसी यान को रोके या तलाशी लें.
- (4) तलाशी तथा अभिग्रहण से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम क्र. 2) की धारा 100 के उपबंध, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन तलाशी तथा अभिग्रहण को लागू होंगे.
- 14. इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय किसी अपराध के किसी अभियुक्त व्यक्ति को तब तक प्रतिभूति अथवा स्वयं के बंधपत्र पर मुक्त नहीं किया जायेगा जब तक ऐसे मुक्ति हेतु आवेदन के विरोध करने का अवसर लोक अभियोजन को न दिया जाये.

जमानत का उपबंध.

15. राज्य सरकार ऐसं व्यक्तियों, यदि कोई हो, जो कि इस अधिनियम से प्रत्यक्षतः प्रभावित हो, के आर्थिक पुनर्वास के लिये नियम बना सकेगी. पुनर्वास.

किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसी बात के संबंध में जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशियत हो, कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियों संस्थित नहीं की जाएंगी.

सद्भावपृत्रंक की गई कार्यवाही का संरक्षण.

17. समस्त सक्षम प्राधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाते हों, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गृत लोक सेवक समझे जाएंगे. इस अधिनियम के अधीन शक्तियों को प्रयोग में लाने वाले अधिकारी लोक सेवक समझे जाएंगे.

18. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखित में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुये भी, प्रभावी होंगे.

अधिनियमका अध्यारोही प्रभाव होगा.

19. इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निर्देश दे सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक समीचीन प्रतीत होते हों, कठिनाई दूर करने की शक्ति.

20. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी जो उनके प्रकाशन की तारीख से या ऐसी अन्य तारीख से प्रभावी होंगे जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए. नियम बनाने की शक्ति

- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों को उनके प्रकाशित होने के पश्चात् यथासभव शीघ्र विधान सभा पटल पर रखा जायेगा.
- 21. कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम क्र. 18) एतदद्वारा निरस्त किया जाता है, परन्तु या निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा—

निरसन तथा व्यावृत्ति.

- (एक) इस प्रकार निरसित की गई किसी विधि के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन की गई या भुगती गई किसी बात. या
- (दो) इस प्रकार निरसित की गई किसी विधि के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई भी शास्ति, जमी या दण्ड, या
- (तीन) पूर्वोक्त प्रकार की किसी भी शास्ति, जसी या दण्ड के संबंध में कोई भी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार,

और कोई भी ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, चालू रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और कोई भी ऐसी शास्ति, जप्ती या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो कि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ है.

### अनुसूची देखिये धारा-2 (ख)

#### कृषिक पशु-

- (1) सभी आयु के गायें
- (2) बछड़ा-बिछया और पाड़ा-पड़िया
- (3) सांड
- (4) बैल
- (5) भैंसा, भैंसे

#### रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2006

क्रमांक 11392/300/21-अ/प्रारूपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिस्थण अधिनियम, 2004 (क्र. 28 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार. विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

# CHHATTISGARH ACT (No. 28 of 2006)

#### THE CHHATTISGARH AGRICULTURAL CATTLE PRESERVATION ACT, 2004

#### TABLE OF CONTENTS

#### Section:

- 1. Short title, extent and commencement.
- Definitions.
- 3. Appointment of veterinary officer.
- 4. Prohibition of slaughter of Agricultural cattle.
- 5. Prohibition on possesion of beef.
- 6. Prohibition on transport of Agricultural cattle for slaughter.
- 7. Possession of seized Agricultural cattle and monthly report.
- 8. Strengthening of institutions.
- 9. Levy of charges.
- 10. Penalties.
- 11. Burden of proof on accused.
- 12. Offences to be cognizable and non-bailable.
- 13. Power of entry and inspection.
- 14. Provision of bail.
- 15. Rehabilitation.
- 16. Protection of action taken in good faith.
- 17. Officers exercising powers under this Act deemed to be public servants.
- 18. Act to have overriding effect.
- 19. Power to remove dificulties.
- 20. Power to make rules.
- 21. Repeal and Saving.

Schedule

#### CHHATTISGARH. ACT , (No. 28 of 2006)

# THE CHHATTISGARH AGRICULTURAL CATTLE PRESERVATION ACT, 2004

An Act to provide, in the interest of the general public and to maintain communal harmony and peace, for prohibition of slaugther of Agricultural cattle and for matters connected thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the fifty-fifth year of the Republic of India as follows:—

## Short title, extent and Commencement.

- (1) This Act may be called the Chhattisgarh Agricultural cattle Preservation Act. 2004.
  - (2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.
  - (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

#### Definitions.

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires,—
  - (a) "Beef" means flesh of Agricultural cattle;
  - (b) "Agricultural cattle" means an animal specified in the schedule :
  - (c) "Competent Authority" means a person appointed by the State Government by notifiction to perform in any local area specified therein, the functions of a Competent Authority under this Act;
  - (d) "Institution" means any charitable institution registered under any enactment for the time being in force, established for the purpose of keeping, preeding and maintaining Agricultural cattle or for the purpose of reception, protection, care, management and treatment of infirm, aged and diseased cow progeny:
  - (e) "Slaugther" means killing by any method whatsoever and includes maining or inlicting of physical injury which in the ordinary course will cause death:
  - (f) "Transport" means carring Agricultural cattle through vehicle or through walking or through any other means;
  - (g) "Veterinary Officer" means a person appointed as a vetermary officer under section 3;
  - (h) "Vehicle" means any mechanically or manually driven conveyance used on land, water or air.

#### Appointment of veterinary officer.

3. The State Government, may by a general or special order, appoint for the purpose of this Act. any person, or class of persons, to be the veterinary officer for a local area.

#### Prohibition of Slaughter of Agricultural cattle.

No person shall slaughter or cause to be slaughtered or offer or cause to be staughter
or any Agricultural cattle.

 No person shall possess beef of any Agricultural cattle slaughtered in contravention of the provisions of this Act.

Prohibition on Possession of beef

6. No person shall sell, or transport or offer to transport or cause to be transported any Agricultural cattle from any place within the state to any place within the state or outside the State, for the purpose of its slaughter in contravention of the provision of this Act or with the knowledge that it will be or is likely to be, so slaughtered.

Prohibition on transport of Agricultural cattle for slaughter.

7. Till the conclusion of prosecution, seized Agricultural cattle will be under custody of nearest registered Goshala, Gosadan, Gorakshan sansthan or other registered sansthan and they are required to provide monthly report to concerned court in prescribed proforma.

Possession of seized agricultural cattle and Monthly reports.

 The State Government shall take necessary steps for strengthening of institutions which are engaged in welfare activities of Agricultural cattle.

Strengthening of institutions.

The person incharge of the institution may levy such charges as may be prescribed, for care and
maintenance of Agricultural cattle whose custody was given to the institution under section 7.
from their owners.

Levy of charges.

10. Whoever contravenes or attempt to contravene or abets the contravention of the provisions of section 4, 5 and 6 shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

Penalties.

11. In any trial for an offence punishable under section 10 for contravention of the provision of section 4, 5 and 6 of this Act the burden of proving that the slaughter, transport or sell of Agricultural cattle was not in contravention of the provisions of this Act shall be on the accused.

Burden of proof on accused.

12. Nothwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) all offences under this Act shall be cognizable and non-bailable.

Offences to be cognizable and non-bailable.

13. (1) For the purpose of enforcing the provisions of this Act the Competent Authority or the Veterinary officer or any person authorised by the Competent Authority or the Veterinary officer in writing in this behalf, shall have power to enter and inspect any premises within the local limits of his jurisdiction, where he has reason to believe that an offence under this Act has been, is being or is likely to be committed.

Power of entry and inspection.

- Every person in occupation of any such premises as is specified in sub-section (1) shall allow the Competent Authority or the Veterinary Officer or any person authorised by the Competent Authority or the Veterinary officer in writing, such access to the premises as may be required for the aforesaid purpose, and shall answer any question put to him by the Competent Authority, the Veterinary officer or the person authorised, as the case may be, to the best of his knowledge and belief.
- (3) The Competent Authority or the Veterinary Officer or any person authorised in writing, in this behalf, shall have power to stop and search any vehicle to ensure the compliance of section 6 of this Act.
- (4) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this section.
- 14. No person accused of an offence punishable under this Act shall be released on bail or on his own bond unless the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release.

Prevision of bail

#### Rehabilitation.

 The State Government may make rules for the economic rehabilitation of such persons, if any, to be directly affected by this Act.

## Protection of action taken in good faith.

16. No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any person for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act, or the rules made thereunder.

#### Officers exercising powers under this Act, deemed to be public servant.

All Competent Authorities, Veterinary Officers and other persons exercising powers under this
Act shall be deemed to be public sevants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal
Code, 1860 (45 of 1860).

#### Act to have overriding effect,

18. The provisions of this Act shall have an overriding effect notwithstanding any thing contained in any other law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

## Power to remove difficulties.

19. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may make such provisions or give such directions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulties.

#### Power to made rules.

20.

- (1) The State Government may by notification, make rules for carrying out the provisions of this Act which shall have effect from the date of its publication or from such other date as may be specified in this behalf.
  - (2) The rules made under this Act shall, as soon as possible after they are published be laid on the table of the Legislative Assembly.

#### Repeal and Saving.

- 21. Agricultural Cattle Preservation Act 1959 (Act No. XVIII of 1959) is hereby repealed, the repeal shall not effect:—
  - (1) the previous operation of any law so repealed or anything done or suffered there under; or
  - (2) any penalty, forfeiture, or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or
  - (3) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any penalty. forfeiture or punishment as aforesaid; and

any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if this Act had not been passed.

#### SCHEDULE Section 2 (b)

#### Agricultural cattle—

- 1. Cows of all ages.
- 2. Calves of cows and of she buffaloes.
- 3. Bulls.
- 4. Bullocks.
- 5. Male and Female buffaloes.

'बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7-ब ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2012-पौष 23, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2012

क्रमांक 262/डी. 15/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्निलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 09-01-2012 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **के. एल. चरयाणी,** अतिरिक्त सचिव.

# छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 3 सन् 2012)

### छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन ) अधिनियम, 2011

छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 ( क्रमांक 28 सन् 2006 ) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

#### संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

1.

- (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा.
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगां.
  - (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

#### धारा 2 का संशोधन.

- छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 (क्रमांक 28 सन् 2006) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 के स्थान पर, निम्निलखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—
  - "2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :--
    - (क) "कृषिक पशु" से अभिप्रेत है, अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पशु;
    - (ख) "कृषिक पशु कल्याण अधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा अधिकारी जो इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु कार्य करेगा यथा कृषिक पशु की तलाशी एवं जप्ती, वाहन की तलाशी एवं जप्ती करना, पशुओं को अपनी अभिरक्षा में लेना एवं अभियोजन प्रारंभ करना;
    - (ग) "मांस" से अभिप्रेत है, कृषिक पशु का मांस;
    - (घ) "सक्षम-प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति जैसा विहित किया जाए;
    - (ङ) "संस्था" से अभिप्रेत है, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिती के अधीन कृषिक पशु को रखने, उनके प्रजनन तथा भरण-पोषण करने के प्रयोजन के लिये या अशक्त, बूढ़े और रोगी कृषिक पशु को ग्रहण करने, उनका संरक्षण, देखभाल, प्रबंध तथा उपचार करने के प्रयोजन के लिए स्थापित की गई रजिस्ट्रीकृत, कोई पूर्त संस्था से है;
    - (च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;
    - (छ) "वध" से अभिप्रेत है, किसी भी पद्धित से, चाहे वह कुछ भी हो, हत्या करना और उसमें ऐसा अंगहीन करना या कोई शारीरिक चोट पहुंचाना भी सम्मिलित है, जिससे सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हो जाए;
    - (ज) "परिवहन" से अभिप्रेत है, कृषिक पशु को वाहन द्वारा या पैदल अथवा अन्य किसी साधन से ले जाना;
    - (झ) "वाहन" से अभिप्रेत है, भूमि, जल या वायु मार्ग से उपयोग में लाए गये यांत्रिकी या हस्तचिलत वाहन."

 मूल अधिनियम की धारा 3, धारा 13 एवं धारा 17 में शब्द "पशु चिकित्सा अधिकारी" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "कृषिक पशु कल्याण अधिकारी" प्रतिस्थापित किए जाएं.

धारा ३, धारा 13 एवं धारा 17 का संशोधन.

4. (1) मूल अधिनियम की धारा 6 को निम्नानुसार पुन:क्रमांकित किया जाए; "6 (1)"

धारा ६ का संशोधन.

- (2) मूल अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—
  - "(2) जब कभी भी कोई व्यक्ति अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट किसी कृषिक पशु का उप-धारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में परिवहन करता है या परिवहन कराता है, तो ऐसे पशुओं के परिवहन में प्रयुक्त ऐसा वाहन या प्रवहण कृषिक पशु सिहत ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे के द्वारा जस किए जाने हेत् दायी होंगे.
  - (3) उप-धारा (2) के अंतर्गत इस प्रकार जप्त किए गए वाहन या प्रवहण को ऐसी जप्ती के दिनांक से छ: माह की समाप्ति के पूर्व बंधपत्र या प्रतिभूति पर न्यायालय के आदेश द्वारा या न्यायालय के अंतिम निर्णय तक, जो भी पहले हो, निर्मुक्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसा वाहन विचारण की समाप्ति पर अधिहरण के लिए दायी होगा."
- 5. मूल अधिनियम की धारा 10 में शब्द "तीन" के स्थान पर शब्द "सात" एवं शब्द "दस" के स्थान पर शब्द "पचास" प्रतिस्थापित किए जाएं.

धारा 10 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम से संलग्न अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :--

अनुसूची का संशोधन.

''अनुसूची एक [देखिए धारा 2 (क)]

#### कृषिक पशु -

- 1. सभी आयु की गायें.
- 2. बछड़ा-बिछया और पाड़ा-पिड़या.
- सांड.
- 4. बैल.
- 5. भैंसा, भैंसे."

#### रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2012

क्रमांक 262/डी. 15/21-अ/प्रा./छ. ग./12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 3 सन् 2012) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

#### CHHATTISGARH ACT (No. 3 of 2012)

# THE CHHATTISGARH AGRICULTURAL CATTLE PRESERVATION (AMENDMENT) ACT, 2011

An Act to amend the Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation Act, 2004 (No. 28 of 2006).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India as follows:—

# Short title, extent and commence-ment.

- (1) This Act may be called the Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation (Amendment) Act, 2011.
  - (2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

## Amendment of Section 2.

- For section 2 of Chhattisgarh Agricultural Cattle Preservation Act, 2004 (No. 28 of 2006) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely:—
  - In this Act, unless the context otherwise requires,—
    - (a) "Agricultural Cattle" means an animal specified in Schedule I:
    - (b) "Agricultural Cattle Welfare Officer" means an officer who shall work for the implementation of the provisions of this Act as search and seizure of agricultural cattle, search and seizure of vehicles, to take cattle in to custody and to initiate prosecution;
    - (c) "Beef" means flesh of agruciltural cattle;
    - (d) "Competent Authority" means such authority or person as may be prescribed;
    - (e) "Institution" means any charitable institution registered under any enactment for the time being in force, established for the purpose of keeping, breeding and maintaining agricultural cattle or for the purpose of reception, protection, care, management and treatment of infirm, aged and diseased cow progeny;
    - (f) "Schedule" means schedule appended to this Act;
    - (g) "Slaughter" means killing by any method whatsoever and includes maiming or inflicting of physical injury which in the ordinary course will cause death;
    - (h) "Transport" means carrying agricultural cattle through vehicle or through walking or through any other means;
    - (i) "Vehicle" means any mechanically or manually driven conveyance used on land water or air."

#### Amendment of Section 3, Section 13 and Section 17.

- In Section 3, Section 13 and Section 17 of the Principal Act the words "Veterinary Officer" wherever they occur shall be substituted by the words "Agricultural Cattle Welfare Officer".
- Amendment of 4. (1) Section 6 of the Principal Act, shall be renumbered as; "6 (1)"

(2) After sub-section (1) of Section 6 of the Principal Act, the following shall be added, namely:—

- Whenever any person transports or causes to be transported in contravention of provisions of sub-section (1) any agricultural cattle as specified in the Schedule, such vehicle or any conveyance used in transporting such animal along with such agricultural cattle shall be liable to be seized by such authority or officer as the State Government may appoint in this behalf.
- (3) The vehicle or conveyance so seized under sub-section (2) shall not be released by the order of the court on bond or surety before the expiry of six months from the date of such seizure or till the final judgment of the court, whichever is earlier and such vehicle shall also be liable for confiscation at the end of the trial."
- 5. In Section 10 of the Principal Act, for the word "three" the word "seven" and for the word "ten" the word "fifty" shall be substituted.

Amendment Section 10.

of

The Schedule appended to the Principal Act, shall be substituted by the following, namely:—

Amendment Schedule. of

"SCHEDULE-I [ See Section 2 (a) ]

#### Agricultural Cattle-

- 1. Cows of all ages.
- Calves of cows and of she buffaloes.
- 3. Bulls.
- Bullocks.
- 5. Male and Female buffaloes."

-01-2012

10-2012."

शानुसार, रंक्त संचिव.